राधिका झा IAS
राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्
राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, रायपुर रोड़, देहरादून उत्तराखण्ड
फोनः 0135–2781941, 2781943 फैक्स – 2781942
website: http://ssa.uk.gov.in, email - spd-ssa-uk@nic.in

अति आवश्यक/फैक्स/ई–मेल

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : रा0प0नि0/ 491 /नि0का0–समीक्षा (05)/2014–15 दिनांक 23 जून, 2014

विषय : निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 के शीघ्र कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 में स्वीकृत निर्माण कार्यों की अनुमोदित छायाप्रति आपको पूर्व में ई–मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। पी0ए0बी0 द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र जिला बेसिक शिक्षा समिति एवं जिला परियोजना समिति से यथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर तत्काल निर्माण कार्य एस0एस0ए0 फ्रेमवर्क व वित्तीय संदर्शिका के अनुसार प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों को निर्धारित समय से पूर्ण करने तथा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या रा0प0नि0/731/नि0का0–समीक्षा (05)/2012–13 दिनांक 13 जून, 2012 एवं रा0प0नि0/1861/नि0का0–समीक्षा (05)/2012–13 दिनांक 25 जून, 2012 एवं रा0प0नि0/1832/ नि0का0–निरीक्षण (21)/2012–13 दिनांक 28 सितम्बर, 2012 द्वारा आपको समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जा चुके हैं। उक्त पत्रों का संदर्भ ग्रहण कर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 के अनुमोदित निर्माण कार्यों की प्रगति एवं अनुश्रवण हेतु आपको निम्नवत् निर्देश दिये जा रहे हैं–

1. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 में स्वीकृत प्राविधानों के अन्तर्गत ही व्यय एवं निर्माण कार्य करवाये जाये।
2. निर्माण कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का भलीभाँति मिलान कर लें। यदि इसमें कोई विसंगति प्राप्त होती है तो तत्काल राज्य परियोजना कार्यालय को सूचित करें।
3. नवीन प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्राप्त कर लिया होगा, इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी तत्काल उपलब्ध करायें।
4. शासन के पत्र संख्या 1042/नि0का0/दै0आ0/2014–15 दिनांक 23 अगस्त, 2013 के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यों के अनुश्रवण, तकनीकी सहयोग, निष्प्रयोज्य प्रमाण–पत्र निर्गत करने, पुनर्निर्माण एवं वृहद मरम्मत आगणन के प्रतिहस्ताक्षर व तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है, तद्नुसार वास्तविक आगणनों को नोडल एजेंसी ग्रामीण

अभियंत्रण सेवा के अभियन्ताओं से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें। वास्तविक आगणनों के आधार पर स्वीकृत धनराशि यदि कम या अधिक होती है तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

5. जैसा कि आप विदित हैं कि शासन के पत्र संख्या रा0प0का0/1208/दै0आ0(32)/2014–15 दिनांक 09 सितम्बर, 2013 के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के अनुश्रवण हेतु जनपद एवं राज्य स्तरीय तकनीकी अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। तद्नुसार जनपद स्तरीय तकनीकी अनुश्रवण समिति के साथ आवश्यक विचार–विमर्श एवं समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं जिला परियोजना अधिकारी सम्बन्धित जनपद के मध्य समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य हैं। समझौता ज्ञापन में निर्माण कार्य का नाम, उपलब्ध धनराशि, कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि एवं निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दण्ड का प्राविधान इत्यादि शर्तें स्पष्ट अंकित हो। एम0ओ0यू0 सम्पादन के उपरान्त तत्काल कार्यादेश निर्गत कर लिया जाये।
7. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 में आपके जनपद हेतु स्वीकृत स्पिल ओवर, डैफर्ड एवं नवीन स्वीकृत निर्माण कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आपको अलग–अलग प्रेषित किये जा रहे है। साथ ही इन लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय सीमा (Time Line) का प्रस्तावित मासिक फ्लोचार्ट संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा हैं कि कृपया तद्नुसार मासिक लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें एवं मासिक प्रगति आख्या से राज्य परियोजना कार्यालय को नियमित रूप से अवगत करायें। इस सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किसी प्रकार के अनुस्मारक देने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
8. सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय प्रबन्ध और अधिप्राप्ति नियमावली (Financial Managment and Procurment item) के प्रस्तर 116.6 (e) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित धनराशि का हस्तान्तरण निम्नवत् किया जाये–

अग्रिम (कार्य प्रारम्भ से लिन्टल स्तर तक)	–	कुल लागत का 75 प्रतिशत
प्लास्टर एवं कार्य पूर्ण होने पर	–	कुल लागत का 25 प्रतिशत

9. निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण सामग्री का मानकानुसार प्रयोग किया जाये तथा निर्माण काया का नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण एवं औचक निरीक्षण भी किया जाये। सी0. आर0सी0,बी0आर0सी0 एवं अवर अभियन्ताओं द्वारा निर्माणाधीन विद्यालयों के साप्ताहिक अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये।इसकी आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को भी नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाये। गुणवत्ता सुनिश्चितता निर्माण कार्य का एक अत्यावश्यक अवयव है। निर्माण क़ार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थान चयन की गुणवत्ता, डिजायन की गुणवत्ता, निर्माण हेतु गुणवत्तापरक निर्माण सामग्री का प्रयोग, उत्तम निर्माण तकनीकी, विद्यालय प्रबन्धन समिति को प्रशिक्षण, निर्माण कार्यों का औचक एवं निरन्तर अनुश्रवण एवं निरीक्षण इत्यादि आवश्यक है। विकासखण्ड स्तर के अवर अभियन्ता द्वारा निम्न स्तरों का निर्माण कार्य आवश्यक रूप से अपने सम्मुख मानकानुसार निर्माण सामग्री का प्रयोग कर सम्पन्न कराया जाये।

1. नींव स्तर (Foundation Level)
2. प्लिंथ स्तर (Plinth Level)
3. लिन्टल स्तर (Lintel Level)
4. छत स्तर (Slab Level)
5. फिनिशिंग स्तर (Finishing Level)

उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि ट्रस/आर0सी0सी0 छत निर्माण के समय सम्बन्धित सहायक अभियन्ता आवश्यक रूप से निर्माण स्थल पर उपस्थित रहें एवं निर्माण से पूर्व की स्थिति, निर्माण के विभिन्न स्तरों एवं निर्माण सम्पन्न होने के उपरान्त के छायाचित्र सुरक्षित रखे जायें। साथ ही निर्माण सामग्री के सैंपल भी सुरक्षित रखे जायें। यदि निर्माण सामग्री अधोमानक प्रतीत हो तो निर्माण सामग्री का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण कराने की कार्यवाही भी की जाये। जिला परियोजना अधिकारी एवं उनके तकनीकी स्टाफ द्वारा समय–समय पर औचक रूप से निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर लिया जाये। साथ ही अपने जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग इत्यादि से निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित कर लिया जाये। ध्यान रहे कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा है, इसमें किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न हो इस हेतु निर्माण कार्यों में उत्तम गुणवत्ता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

10. पारदर्शिता, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं जबावदेही के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में निम्नवत् दस्तावेजों का आवश्यक रूप से रख–रखाव सुनिश्चित कर लिया जाये।

(क) <u>माप पुस्तिका</u> (Measurement Book)– निर्माण कार्यों का भुगतान माप पुस्तिका के आधार पर आवश्यक रूप से कर लिया जाये।

(ख) <u>प्रतिदिन व्यय रजिस्टर का रख–रखाव</u>– इसके अन्तर्गत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित खरीदारी का ब्यौरा, श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज हो एवं प्रतिदिन व्यय पंजिका में वाउचर संख्या, खरीदारी का दिनांक, एजेन्सी का नाम, सामग्री का ब्यौरा, सामग्री की गुणवत्ता, सामग्री की इकाई लागत, भुगतान का प्रकार चैक अथवा नकद, भुगतान की धनराशि इत्यादि का समावेश आवश्यक रूप से कर लिया जाये एवं यह रजिस्टर सर्व शिक्षा अभियान के प्राधिकारियों को विद्यालय निरीक्षण/अनुश्रवण के दौरान उपलब्ध कराया जाये।

(ग) <u>प्रतिदिन सीमेन्ट रजिस्टर</u>– किसी भी निर्माण हेतु सीमेन्ट एक आवश्यक अवयव है। अतः सीमेन्ट रजिस्टर का रख–रखाव अवश्य कर लिया जाये। सीमेन्ट रजिस्टर में सीमेन्ट प्राप्ति का ब्यौरा, सीमेन्ट बैग की प्रतिदिन खपत, सीमैट किस हेतु उपयोग किया गया? जैसे– ईंटों की चिनाई, प्लास्टर, लिन्टल, स्लैब, फर्श इत्यादि। प्रतिदिन अवशेष सीमेन्ट का मिलान/सत्यापन सीमेन्ट भण्डार गृह से कर लिया जाये।

(घ) <u>आगन्तुक पंजिका</u>– विद्यालय में आगन्तुक पंजिका का रख–रखाव आवश्यक है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण/अनुश्रवण के दौरान अंकना की जायेगी।

11. सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को प्रदान किये जा रहे प्रशिक्षण में एक दिवसीय प्रशिक्षण निर्माण कार्य के सम्बन्ध में दिये जाने हेतु व्यवस्था कर ली जाये।

12. रैम्प–रेलिंग के निर्माण में मानकानुसार ढलान एवं रेलिंग का अवश्य उपयोग किया जाये।
13. निर्माण कार्यों के लिए जो धनराशि उपभोग की गयी हो, उनके उपभोग प्रमाण–पत्र तत्काल प्राप्त करवाने की भी व्यवस्था की जाये अन्यथा धनराशि अग्रिम के रूप में ही मानी जायेगी तथा व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जायेगी। विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा विद्यालय भवन के बाहरी दीवार पर वर्षवार एवं मदवार आय–व्यय का विवरण, सोशल ऑडिट के उद्देश्यों को आवश्यक रूप से अंकित कर लिया जाये।
14. यदि विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं निर्माण कार्य हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता में कोई शिथिलता बरती जाती है तो विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
15. पिछले निर्माण कार्यों का भी प्रभावी अनुश्रवण किया जाये, जो कार्य अनारम्भ, हो उनकी विशेष समीक्षा कर समस्या का समाधान करवाया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने जनपद में निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 का शीघ्र कार्यान्वयन कर निर्माण कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करायें।

भवदीया

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0 : रा0प0नि0/ 491 /नि0का0–समीक्षा (05)/2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, तपोवन रोड, रायपुर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के तकनीकी अनुश्रवण, निष्प्रयोज्य प्रमाण–पत्र निर्गत करने, आगणनों के प्रतिहस्ताक्षर एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।